न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री गोपाल लाल स्वर्णकार, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 01/2018 GCMS NO. 2018/00014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. प्रेमकुमार पुत्र श्री मानाराम मेघवाल निवासी रामगढ़		1. डूगराराम पुत्र श्री पॉचाराम मेघवाल निवासी रामगढ़। 2. सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ। 3. ग्राम पंचायत रामगढ़ जरिये पदेन सचिव ग्राम सेवक रामगढ। 4. अधिशाषी अभियंता सा0नि0विभाग खण्ड जैसलमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री अब्दुल रहमान मेहर, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री एम आर बारूपाल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक :– 12.10.2023

प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस अप्रार्थीगण को जारी किए गए। निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के कथनानुसार अप्रार्थी संख्या 01 को ग्राम पंचायत रामगढ द्वारा जारी व्यावसायिक दुकानों का पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के विरूद्ध फर्जी व गलत जारी किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत रामगढ द्वारा जारी व्यावसायिक दुकानों का पट्टा संख्या 60 माप 17.6 गुणा 12.6 वर्ग फीट जो कि जैसलमेर–रामगढ–तनोट राजमार्ग से 75 फीट दूरी छोड़कर दुकानों का पट्टा जारी किया गया है जबकि दुकानें रोड़ बाउन्ड्री के 50 फीट के अंदर बनी हुई है तथा जिस भू खण्ड का पट्टा जारी किया गया है दुकानें उस भू खण्ड में स्थित नहीं है। प्रार्थी का आगे कथन है कि सारी कार्यवाही अन्दर ही अन्दर की गई है सार्वजनिक नहीं की गई है। मिथ्या साक्ष्य गढकर बमिलावट अप्रार्थी 2 व 3 से पट्टा जारी कराया गया जो पंचायती

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

राज .नियमों के विरूद्ध एवं प्रारंभत नल एंड वोईड होने से निरस्ती योग्य है। प्रार्थी का अनुरोध है कि प्रश्नगत पट्टा खारिज किया जाए।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिन्दु, तथ्यों के विपरीत एवं आधारहीन हैं और यह कि प्रश्नगत पट्टा विधि सम्मत एवं पोषणीय है। अपने जबाब के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 01 को जारी प्रश्नगत पट्टे की रसीदें, मिसल पत्रावलियां, ग्राम पंचायत रामगढ़ का पट्टा जारी करने संबंधी प्रस्ताव, प्रश्नगत पट्टे के पंजीयन तथा कार्यवाही की प्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत की।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी व्यावसायिक पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है। उनका आगे तर्क रहा है कि प्रश्नगत पट्टा जारी करने में निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन नही हुआ है एवं प्रश्नगत पट्टा मिलावट से फर्जी जारी हुआ हैं जिसे निरस्त किया जाना वांछनीय है। अधिवक्ता प्रार्थी ने आगे निवेदन किया कि तहसीलदार रामगढ द्वारा वास्तविक मौका रिपार्ट 2276 दिनांक 10.10.2023 के अनुसार भी अप्रार्थी को दिये गये पट्टे पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा दुकानें पट्टे के भीतर अवस्थित नहीं हैं।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 का तर्क रहा कि प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रावधित प्रकिया का पालन करते हुए ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा जारी किया गया है जिसका अभिलेख विधिवत संधारित है। उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अप्रार्थी संख्या 01 डूंगरराम पुत्र श्री पांचाराम को पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत की बैठक का कार्यवाही विवरण जिसमें पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया, पट्टा शुल्क जमा कराने की रसीद, पंजीकृत प्रश्नगत पट्टे की प्रतियां प्रस्तुत कर कथन किया कि निगरानी याचिका विलम्ब से प्रस्तुत की गई जो खारिज योग्य है। आगे कथन किया है कि ग्राम पंचायत रामगढ ने संकल्प संख्या 02/21.09.2015 के तहत पंचायत समिति सम के आदेश संख्या 5228 दिनांक 23.11.2015 के अनुसरण में दिनांक 09.12.2015 के तहत आबादी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 को व्यावसायिक पट्टा संख्या 60

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

जारी किया गया जो विधि विधान, न्याय सिद्वान्तो का मध्य नजर रखते हुए सही व निष्पक्ष है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया । प्रार्थी ने कथन किया कि जिस भूखंड का पट्टा जारी किया गया है उक्त पट्टास्थल पर दुकानें नहीं बनी हुई है जिसका अप्रार्थी द्वारा खण्डन नहीं किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी. एसपीएल. अपील रीट नं. 918/2017 इशाक खान S/o नूरे खां बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिये गये निर्णय अनुसार दस्तावेज का पंजीकरण कराने से किसी अवैध जारी दस्तावेज को वैध नही माना जाएगा। साथ ही धोखाधड़ी करके किसी कानूनी अधिकार के बिना प्राप्त स्थानीय प्राधिकारी या सरकार की भूमि का आवंटन शून्य है और ऐसे आवंटन को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रास्ते में कोई सीमा नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 को ग्राम पंचायत रामगढ द्वारा दिनांक 09.12.2015 को जारी व्यावसायिक पट्टा संख्या 60 जिस पर अप्रार्थी की दुकाने बनी होनी चाहिए थी परंतु तहसीलदार रामगढ़ की मौका रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी को दिये गये पट्टे पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा अप्रार्थी की दुकानें पट्टे के भीतर नहीं है जो की एक गंभीर अनियमितता है। तहसीलदार रामगढ़ की मौके रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी डूंगराराम पुत्र श्री पांचाराम की दुकाने जैसलमेर–रामगढ–तनोट रोड के मध्य बिन्दु से 60 फीट की दूरी पर निर्मित है जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 161 के बिन्दु संख्या 2 ख के अनुसार ग्राम पंचायत राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्यरेखा से एक सौ पचास फुट की सीमा में न तो किसी आबादी भूमि का विक्रय करेगी और न हीं पक्का संनिर्माण अनुज्ञात करेगी। यह एक अन्य गंभीर अनियमितता है।

अतः प्रश्नगत पट्टा खारिज किए जाने योग्य होने से एतदद्वारा खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना–अपना व्यय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर